(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

<u>अधिसूचना</u>

सं. 20/2017-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक, 12 मई, 2017

सा0का0नि0 (अ)- अभिहित प्राधिकारी चीन जनवादी गणराज्य (जिसे इसके बाद विषयगत देश कहा गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "एल्युमीनियम रेडिएटरर्स, एल्युमीनियम रेडिएटर्स सब-असेंबलीज और एल्युमीनियम रेडिएटर कोर, जो सीकेडी अथवा एसकेडी, स्थितियों में शामिल की जाती हैं, और जिनमें नए आटोमोबाइल्स में प्रयोग के प्रयोजनार्थ एल्यूमीनियम रेडिएटर्स शामिल नहीं हैं" (जिसे इसके बाद विषयगत माल कहा गया है) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 8708 91 00 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं, के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-1, तारीख 20 मार्च, 2017 में प्रकाशित अधिसूचना फा. सं. 14/24/2015-डीजीएडी, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि-

(i) विषयगत माल का निर्यात विषयगत देश से इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर भारत में निर्यात किया गया है;

(ii) विषयगत देश से विषयगत माल के आयात के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है;

(iii) वास्तविक क्षति विषयगत देश से पाटित आयातों के कारण हुई है;

और यह सिफारिश की है कि विषयगत देश में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की जाने वाली विषयगत माल के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाए, ताकि घरेलू उद्योग को क्षति से बचाया जा सके ।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 क की उप-धारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, अभिहित प्राधिकारी के पूर्वाक्त निष्कर्षों के आधार पर अद्योलिखित सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित देश में उद्गमित, उक्त सारणी के स्तंभ (7) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित उत्पादकों द्वारा उत्पादित, भारत में आयात किए गए ऐसे मामलों पर, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित, उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के उपशीर्ष/ टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, जिनका विवरण उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दिया गया है, और जिनकी विशिष्टता उक्त सारणी

के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दी गई है, जब उनका निर्यात उक्त सारणी के स्तंभ (6) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित देशों से , उक्त सारणी के स्तंभ (8) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित निर्यातकों द्वारा किया जाए, और उक्त सरणी के स्तंभ (10) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित प्रतिमापन इकाई में व्यक्त उक्त सारणी के स्तंभ (9) की तत्स्थानी प्रविष्टि में इंगित संदर्भ राशि स्तंभ (10) की तत्स्थानी प्रविष्टि में मुद्रा तथा स्तंभ (11) के तत्स्थानी समतुल्य दर पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करती है।

सारणी

क्र.स.	टैरिफ मद	वस्तुओं का वर्णन	विनिर्देशन	उद्गम देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	मुद्रा	यूओएम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	87089100	एल्युमीनियम रेडिएटरर्स, एल्युमीनियम रेडिएटर्स सब-असेंबलीज और एल्युमीनियम रेडिएटर कोर, जो सीकेडी अथवा एसकेडी, स्थितियों में शामिलकी जाती हैं, और जिनमें नए आटोमोबाइल्स में प्रयोग के प्रयोजनार्थ एल्यूमीनियम रेडिएटर्स शामिल नहीं हैं	कोई विनिर्देशन	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	22.89	अमरीकी डालर	साख्या
2	87089100	एल्युमीनियम रेडिएटरर्स, एल्युमीनियम रेडिएटर्स सब-असेंबलीज और एल्युमीनियम रेडिएटर कोर, जो सीकेडी अथवा एसकेडी, स्थितियों में शामिलकी जाती हैं, और जिनमें नए आटोमोबाइल्स में प्रयोग के प्रयोजनार्थ एल्यूमीनियम रेडिएटर्स शामिल नहीं हैं	कोई विनिर्देशन	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	कोई	22.89	अमरीकी डालर	संख्या
3	87089100	एल्युमीनियम रेडिएटरर्स, एल्युमीनियम रेडिएटर्स सब-असेंबलीज और एल्युमीनियम रेडिएटर कोर, जो सीकेडी अथवा एसकेडी, स्थितियों में शामिलकी जाती हैं, और जिनमें नए आटोमोबाइल्स में प्रयोग के प्रयोजनार्थ एल्यूमीनियम रेडिएटर्स शामिल नहीं हैं	कोई विनिर्देशन	कोई	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	22.89	अमरीकी डालर	संख्या

नोट: रोड वाहनों और जनरेटर सैटों में प्रयोग के लिए,जिनमें नए आटोमोबाइल्स में प्रयोग के प्रयोजनार्थ एल्यूमीनियम रेडएटर्स शामिल नहीं है, एल्युमीनियम रेडिएटर्स , एल्युमीनियम रेडिएटर्ससब-असेंबलीज और एल्युमीनियम ऐडिएटर्सकोर,जो सीकेडी अथवा एसेडी स्थितियों में शामिल होते हैं,पीयूसी में प्रयुक्त कारों , ट्रैक्टरों, ट्रकों और जेनसेटों के लिए संबद्ध वस्तुएं सममिलित हैं । एकल संघटकों जैसे रबड़, गास्केट, फ्रेम्स , कूलर ,टैंक, टयूब आदि को विचाराधीन उत्पाद के दायरेमें शामिल नहीं किया गया है। ओईएम और प्रतिस्थापन(रिप्लेसमेंट) बाजार के लिए निर्मितरेडिएटर्स तकनीकी विशेषताओं और मूल्य निर्धारण में भिन्न है ।

2. लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (जब तक कि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है और इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है) उद्‌गृहीत किया जाएगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाना होगा।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के आशय से, ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन में लागू ''विनिमय दर'' वहीं होगी जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की द्वारा प्रदत्त शक्तियों शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है तथा विनिमय की दर के निर्धारण की तारीख वह होगी जो उपर्युक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी ।

[फा.सं. 354/226/2016-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार